



बिहार सरकार

फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - बरबीघा

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2023/233130


दिनांक : 20/06/2023

प्रमाणित किया जाता है कि रुपेश कुमार(Rupesh Kumar), पिता-रबिन्द्र प्रसाद(Rabindra Prasad), माता-मंजू कुमारी(Manju Kumari), ग्राम/मोहला-जगदीशपुर, पोस्ट-तोयगढ़, थाना- जयरामपुर, प्रखंड-बरबीघा, अनुमंडल-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा, राज्य बिहार कुर्मी समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 35 पर अंकित है। अतः रुपेश कुमार, पुत्र- रबिन्द्र प्रसाद, माता-मंजू कुमारी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : बरबीघा

दिनांक : 20/06/2023



Digitally signed by SARVESH KUMAR SINHA
Date: 2023.06.20 05:33:51 +05:30

राजस्व अधिकारी बरबीघा
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पेज पर Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से की जाये।
नोट: यह दस्तावेज़ DigitLocker पर भी उपलब्ध है।